TEN RUPEES FIVE RUPEES

68

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2007 पुर्नावलोकन

निग-812-II/07

श्री सुरेन्द्र जैन एडु. द्वारा आज दि. 8-5-07 को प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

सुघरसिंह पुत्र मंगलिया, आयु–47वर्ष, जाति कोली, व्यवसाय–– कास्तकारी, निवासी– ग्राम गेपरा तहसील जोरा जिला मुरैना (म0प्र0)

................आवेदक

विरूद्ध

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संशोधित किया गया 20-02-15

(1) पूरन पुत्र स्व श्री रामकिशन
(2) भारत पुत्र स्व श्री रामकिशन
(3) मथुरा पत्नी स्व श्री रामकिशन नि. ग्राम गेपरा तह. जोरा जिला मुरैना
(4) गुड्डी पत्नी श्री [illegible] पुत्री स्व श्री रामकिशन नि. ग्राम [illegible] तह. जोरा जिला मुरैना

1. श्रीमती कमलेश पत्नी श्री सन्तोष पुत्री नामालूम कथित् पुत्री स्व. श्री दुर्जन, निवासी– ग्राम बड़ौना हवेली, तहसील जोरा जिला मुरैना (म0प्र0)

2. रामकिशन पुत्र श्री सोना, निवासी– ग्राम गेपरा तहसील जोरा जिला मुरैना (म0प्र0) — 1-8-15 फौत

3. वीरेन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल निवासी– ग्राम गेपरा तहसील जोरा जिला मुरैना (म0प्र0)

............अनावेदकगण

S Jain 8-5-2007
Surendra Jain
Advocate
Gwalior (M.P.)

<u>राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1408–दो/2006 पुनरीक्षण में पारित विवादित आदेश दिनांक 01.03.2007 के विरूद्ध पुर्नावलोकन अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959</u>

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न आधारों पर अन्य आधारों के साथ पुर्नावलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है:–

............2

S Jain
Surendra Jain

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 812-तीन/दो/2007 पुनरावलोकन जिला मुरेना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-11-16	राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्रकरण नम्बर 1408-दो/2006 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनॉक 01-03-2007 के पुनरावलोकन करने हेतु यह आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी एंव अनावेदक के विधिक वारिसान के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़ के तर्क सुने। आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क भी रखे। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के मौखिक तर्कों पर एंव आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी तर्कों पर मनन् करने से स्थिति यह है कि विद्वान अभिभाषकों ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो आदेश दिनांक 1-3-2007 में विचार कर पुनरीक्षण प्रकरण का निराकरण किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधार बताये गये हैं - 1. किसी नई और महत्वपूर्ण विषय वस्तु या साक्ष्य की खोज होने से जो उचित परिश्रम करने के वाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी जिस पर आदेश/डिक्री पारित हुई, 2. किसी ऐसी भ्रॉति पूर्ण गल्ती Mistake या भूल error जो रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हो, 3. किसी अन्य पर्याप्त कारण से - विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में अथवा तर्को में आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 1-3-2007 पारित करने के उपरांत ऐसी	

प्र0क0 812-तीन/दो/2007 पुनरावलोकन

कौनसी परिस्थितियॉ प्रकट हुई हैं जिन कारणों से प्रकरण नम्बर 1408-दो/2006 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनॉक 01-03-2007 का पुनरावलोकन करना लाजमी है। अत: पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य